रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

तंत्र सुधार – प्रपुंज ऋण (एस आई : प्रपुंज) प्रवर्ग की स्कीमों के लिए दिशा-निर्देश

1. दिशानिर्देश

ये दिशा-निर्देश पारेषण, उप पारेषण और संवितरण प्रणालियों के सृजन, विस्तार, उन्नयन और नवीकरण के लिए अपेक्षित विभिन्न उपस्करों/सामग्री के क्रय तंत्र सुधार के उद्देश्य से स्कीमों के एसआई द्भ प्रपुंज ऋण प्रवर्ग (राज्य और केंद्रीय सेक्टर कर्जदारों और सीपीएसयू) के अधीन ऋणों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने, उन्हें वित्तपोषित करने और उनका आहरण करने में सहायता करने के लिए हैं तथा वे इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों को अधिक्रंत करेंगे ।

2. स्कीम के उद्देश्य

स्कीमों का बल मुख्य रूप से ट्रंसफार्मरों, मीटरों, कपेसीटरों, कंडक्टरों, ब्रेकरों, खंबों, नियंत्रण और रिले पेनलों, टॉवर सामग्रियों, इलेक्ट्रीकल केबलों आदि जैसे विभिन्न उपस्करों/सामग्रियों के क्रय और प्रतिष्ठापन पर होना चाहिए जो यूटिलिटी की निम्नलिखित में सहायता करते हैं :

i) विद्युत की पारेषण, उप-पारेषण और अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु वितरण प्रणालियों के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराना

ii) वोल्टता विनियमन में सुधार करना जिससे कि इसे अनुज्ञेय सीमा के भीतर लाया जा सके ।

iii) मरम्मत किए गए तथा पुराने/अप्रचलित उपस्कर को हटाकर विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना ।

iv) उप-पारेषण और वितरण तंत्र की विद्युत वहनीयता में सुधार करना जिससे कि उपलब्ध प्रणाली क्षमताओं के उपयोग को अनुकूल बनाया जा सके ।

v) राजस्व बिलिंग और संग्रहण में सुधार करना ।

vi) ऊर्जा की लेखा परीक्षा ।

vii) पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों में तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों में कमी लाना ।

3. संकर्मों का परिधि क्षेत्र

परियोजना मुख्य रूप से विद्युत यूटिलिटियें/राज्य बिजली बोर्ड की, उनकी पारेषण, उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों में उपयोग के लिए विभिन्न उपस्कर/सामग्रियों के क्रय और अधिष्ठापन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी :द्भ

i भार में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए विद्युत और वितरण ट्रंसफार्मर, मरम्मत किए गए ट्रंसफार्मरों को बदलने और प्रणाली सुधार के लिए

ii विभिन्न आकारों के कंडक्टर ।

iii विभिन्न किस्मों और उपयोजनों के लिए मीटर (उपभोक्ता मीटर, ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए मीटर, डीटी मीटर, फीडर मीटर आदि) ।

iv विभिन्न उपयोजनों के लिए कपेसीटर ।

v खंबे/टॉवर सामग्री ।

vi सर्किट ब्रेकर ।

vii नियंत्रण और रिले पेनल ।

viii एरीयल बन्चड तारों सहित विद्युत तारें ।

4. स्कीम का प्रारुप

स्कीम को कर्जदार द्वारा परियोजना रिपोर्ट की विहित संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा (अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न) ।

उपरोक्तानुसार स्कीम रिपोर्टों को, अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न प्रारुप के अनुसार उसके मूल्यांकन टिप्पण के साथ आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा कारपोरेट कार्यालय को अग्रेषित किया जा सकेगा ।

5. अस्तित्व का मूल्यांकन

कर्जदार की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, आरईसी के अस्तित्व मूल्यांकन प्रभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम रेटिंग का अनुसरण किया जाए ।

6. उपयोगिता के उद्‌भासन की सीमा

परियोजना मूल्यांकन के समय, मुख्य परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगिता के लिए अतिशेष प्रत्यय उद्‌भासन उपलब्ध है । इस प्रयोजन के लिए, अनुलग्नक-III के अनुसार प्रारुप तैयार किया जाएगा और मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा अपने मूल्यांकन टिप्पण के साथ संलग्न किया जाएगा ।

7. लागत आकड़े

स्कीमों को, यूटिलिटियों द्वारा उनकी नवीनतम अनुमोदित दर सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा । विचार की गई उपस्कर की लागत एफओआर भांडागार दर होगी (प्रदाय दर जमा मालभाड़ा जमा बीमा) । उपस्कर/सामग्री की उपरोक्तानुसार संगणित दरों को मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । यदि उपरोक्त दरों की तुलना में स्कीम में अपनाई गई लागत में कोई अंतर है तो, मुख्य परियोजना प्रबंधक को उसका औचित्य प्रस्तुत करना चाहिए । जहां यूटिलिटियों में नवीनतम दर अनुसूची तैयार नहीं की गई है, वहां मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा नवीनतम क्रय आदेशों के अनुसार लागत को अपनाया जा सकता है । विकल्प के रूप में, ऐसे मामलों में उपयोगिता संनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त परिवृद्धियों के साथ पुरानी अनुमोदित दर अनुसूची का उपयोग किया जा सकेगा । किसी भी दशा में, परियोजना कार्यालय को अपने कार्यवाही टिप्पण में विद्युत उपयोगिता द्वारा अपनाए गए लागत प्राक्कलनों की स्वीकार्यता के संबंध में अपनी सिफारिशें देनी चाहिए ।

8. परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना की अवधि

स्कीम का निष्पादन, एक वर्ष की समयतालिकाबद्ध प्रचालन अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, इसके लिए एक वर्ष की अनुग्रह अवधि दी जाएगी (आरईसी के विवेकाधिकार पर) । तथापि, स्कीम कार्यान्वयन अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समयतालिकाबद्ध प्रचालन अवधि के परे विस्तारित किया जा सकेगा । विस्तारण मामलों के लिए सक्षम प्राधिकारी परिपत्र सं. एसईसी-1/195(ए)/2006/205 तारीख 24.07.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

9. विचलन प्रस्ताव

क) उस दशा में जहां कुछ विचलन हैं (स्वीकृत परियोजना की तुलना में), वहां परियोजना अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विचलन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर विचार किया जाएगा :

(i) किए गए विचलन तकनीकी रूप से न्यायोचित हों ।

(ii) आरईसी की वित्तीय प्रतिबद्धता लागत वृद्धि, यदि कोई हो, सहित मूल ऋण राशि तक सीमित होगी

(iii) विचलन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीम के विरुद्ध अंतिम प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाएगा और इसे इस राशि के जारी होने से पूर्व आरईसी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस विचलन प्रस्ताव को ऊपर (i) और (ii) के ब्यौरों के साथ परिवर्तन को उचित ठहराते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा ।

पूर्वोक्त विचलन प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए शक्तियां परिपत्र सं. एसईसी-1/195(ए)/2006/233 तारीख 18.08.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होंगी ।

10. **व्यवहार्यता :** चूंकि ये स्कीमें प्रपुंज क्रय हेतु हैं, इसलिए आईआरआर की संगणना करना अपेक्षित नहीं है ।

11. सामान्यतः, प्रपुंज ऋण प्रवर्ग की स्कीमों के अधीन मंजूरी को किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान पी:एसआई प्रवर्ग के अधीन मंजूरियों के 20

प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए ।

12. ऋण की समयावधि

क) ऋण पुन: अदायगी की अवधि, दो वर्ष की विलंबन अवधि सहित 7 वर्ष होगी । उस दशा में, जहां उपयोगिता के अनुरोध पर भिन्न-भिन्न कारणों से स्कीम की अवधि को नियत समापन अवधि से परे विस्तारित किया जाता है, वहां अधिस्थगन अवधि समान बनी रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

ख) सामान्यतः प्रपुंज ऋण स्कीमें अग्रिम या प्रथम किस्त का आहरण करने के लिए पात्र नहीं होती हैं और निधियों को संकर्म को प्रगति के आधार पर जारी किया जाता है । तथापि, उस दशा में जहां यूटिलिटी को, उनके क्रय आदेश के संदाय के निबंधनों के अनुसार प्रदायकर्त्ता को अग्रिम जारी किया जाना है, वहां आरईसी, यदि ऐसे तथ्य को पूर्ण रूप से सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाता है, समान राशि का अग्रिम जारी करने पर विचार करेगा (यदि उपयोगिता द्वारा अनुरोध किया जाता है)। 100 करोड़ से अधिक ऋण राशि वाली स्कीमों के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत तक, 50 करोड़ से अधिक किंतु 100 करोड़ से कम ऋण राशि वाली स्कीमों के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि 15 प्रतिशत तक और 50 करोड़ से कम ऋण राशि वाली स्कीमों के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि 20 प्रतिशत तक सीमित होगी । उपरोक्तअग्रिम ऋण को केवल वहीं उपलब्ध कराया जाएगा जहां कर्जदार ने आरईसी को पर्याप्त स्वीकार्य प्रतिभूति उपलब्ध कराई है ।

ग) ऋण की किस्तों को, बीजक प्रस्तुत किए जाने पर, बीजक के मूल्य के 90 प्रतिशत तक के आधार पर, प्रारंभिक अग्रिम, यदि कोई हो, का दर के अनुसार समाशोधन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा ।

घ) स्कीम की ऋण राशि के 50 प्रतिशत से अधिक की ऋण किस्तों को जारी करने से पूर्व आरईसी/एमसी/2006-07/1302 तारीख 28.08.2006 द्वारा जारी मानीटरिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्यौरेवार मानीटरिंग की जाएगी ।

ङ) ऋण के अंतिम 10 प्रतिशत की राशि को यथा लागू अंतिम क्षेत्र मानीटरिंग और कर्जदार द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि उपस्कर को वास्तविक रूप से क्षेत्र में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है और साथ ही स्कीम की मंजूरी के अन्य निबंधनों और शर्तों, यदि कोई हों, के पूरा किए जाने पर जारी किया जाएगा ।

च) यदि उपयोगिता द्वारा वांछा की जाती है तो पत्र सं. आरईसी/फाइनेंस/क्लेमस/2006-07/17.11.2006 और पत्र सं. आरईसी/फाइनेंस/क्लेमस/डायरेक्ट पे/2007.08/1886 तारीख 5.9.2007, समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा इस विषय पर जारी वित्त प्रभाग के अनुदेशों में अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अनुसार संविदाकारों/प्रदायकर्त्ताओं को सीधे भुगतान अनुज्ञेय है । ।

13. इन दिशा-निर्देशों के साथ संयुक्तरूप से पढ़े जाने हेतु अन्य दिशा-निर्देश (संशोधनों सहित) :

(i) पत्र सं. आरईसी/टीएंडडी/गाइडलाइंस/2006-07/689 तारीख 4.5.2006 द्वारा जारी आरईसी स्कीमों की मंजूरी वापिस लेने, उन्हें रद्द करने और बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश ।

(ii) पत्र सं. आरईसी/एमसी/2006-07/1302 तारीख 28.08.2006 द्वारा जारी मानीटरिंग दिशा-निर्देश ।

अनुलग्नक-ख्

.... के खरीद और अधिष्ठापन के लिए स्कीम

1. प्रस्तावना

यह परियोजना प्रस्ताव .... प्रयोजनार्थ, ... सर्किल/जिले के स्कीम क्षेत्र में अधिष्ठापन के लिए .... के खरीद हेतु है, जिसके लिए एस आई (...................) प्रवर्ग के अधीन आरईसी लि. से ऋण सहायता का अनुरोध किया गया है ।

2. स्कीम का उद्देश्य (संक्षिप्त लेखन)

3. स्कीम क्षेत्र का नाम

4. स्कीम प्रस्ताव/ब्यौरे

सभी सुसंगत ब्यौरे संलग्न करें ।

5. अनुरोध की गई परियोजना कार्यान्वयन अवधि, औचित्य सहित

6. खरीद की जाने वाली मदों के ब्यौरे, उनकी संख्या, किस्म, मात्रा, यूनिट दर, कुल लागत आदि सहित

7. आरईसी से मांगी गई ऋण सहायता

8. उपस्कर की खरीद के लिए समय-सूची और प्रदाय

9. प्रमाण-पत्र

   1. स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक किस्म के उपस्कर के लिए अपनाई गई युनिट लागत .... के अनुसार है ।
   2. .... की खरीद का कार्यक्रम .... तक पूरा होना तय है ।
   3. यूटिलिटी इस कार्यक्रम के लिए किसी अन्य वित्तपोषक एजेंसी से वित्तपोषण प्राप्त नहीं कर रहा है ।
   4. इन संकर्मों को किसी भी आरईसी वित्तपोषित स्वीकृत स्कीम में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

अनुलग्नक-II

परियोजना कार्यालय ओ द्वारा भेजे जाने वाले मूल्यांकन टिप्पण का प्रारुप

1. राज्य का नाम

2. विद्युत यूटिलिटी का नाम

3. स्कीम का नाम, जिले, सर्किल और ब्लॉक के नाम सहित

4. स्कीम का प्रवर्ग

5. कुल परियोजना लागत

6. ऋण की राशि

7. स्कीम के संक्षिप्त विवरण

8. उद्देश्य

i)

ii)

iii)

9. स्कीम में प्रस्तावित संकर्म

क्रम सं.	मद	मात्रा	दर	लागत
	योग			

10. स्कीम में अपनाए गए लागत प्राक्कलनों के ब्यौरे और क्या वे सीपीएम को स्वीकार्य है ।

11. ऋण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित प्रतिभूति

कृपया उल्लेख करें कि यूटिलिटी किस प्रतिभूति विकल्प को अपनाने का प्रस्ताव करती है । यदि सरकारी गारंटी का प्रस्ताव किया गया है तो उसकी प्रास्थिति प्रस्तुत की जाए (सरकार द्वारा गारंटी मंजूर किए जाने की संभावित तारीख आदि) । यदि आस्तियों को भाराक्रंत करने का प्रस्ताव किया जाता है तो, आस्तियों की मूल्यांकन प्रास्थिति प्रस्तुत की जाए ।

12. स्कीम की मंजूरी के पश्चात् दस्तावेज प्रस्तुत करने की संभावित अवधि ।

13. यूटिलिटी द्वारा अनुरोध की गई और सीपीएम द्वारा सिफारिश की गई स्कीम पूरी करने की अवधि के ब्यौरे

14. क्या स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है ।

15. उपयोगिता द्वारा डिफाल्ट एस्क्रो उपलब्ध कराया/नहीं कराया जाएगा । (जो लागू न हो काट दें)

16. उदभासन सन्नियम :

प्रारुप संलग्न करें ।

17. क्या स्कीम में उल्लिखित तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता सत्यापित की गई है ?

हां/नहीं

18. क्या यूटिलिटी ने निम्नलिखित को प्रमाणित किया है :द्भ

(ट) कि वर्तमान स्कीम के अंतर्गत आने वाले संकर्म, आरईसी द्वारा पहले से पहले की गई किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं ;

(ट्ट) कि यूटिलिटी वर्तमान स्कीम के लिए केवल एक वित्तीय संस्था से वित्त प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है

19. क्या कोई रियायत अपेक्षित है ?

20. सिफारिशें

ऊपर पैरा **19** में उपदर्शित रियायत **(**यदि कोई हो**)** की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, ... की ऋण सहायता के लिए उपयोगिता के प्रस्ताव पर कारपोरेशन द्वारा विचार करने की सिफारिश की जाती है ।

(कार्यवाही अधिकारी)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक